न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7017–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–11–2015 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प इंदौर, प्रकरण कमांक 38/बी–103/2015–16/33

.....

संतोष कुमार पिता श्री लक्ष्मीनारायण बेडरिया
निवासी 568/17 मेघदुत नगर इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प इंदौर
जिला इंदौर म0प्र0
2–नरेन्द्र पिता श्री गोविन्दप्रसाद अग्रवाल
निवासी 568/17 मेघदुत नगर इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री टी0सी0यादव, अभिभाषक–आवेदक
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री महेश भोरहरी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी मध्यप्रदेश भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक संतोष कुमार द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा इकरारपूर्ति बावत् वाद व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और अष्टम अपर जिला

न्यायाधीश इंदौर द्वारा इकरारनामा पर्याप्त मुद्रांकित नहीं होने के कारण परिबद्ध कराये जाने बावत् दिनांक 14–7–2015 को आदेश पारित किया गया है, अतः इकरारनामा परिबद्ध कर योग्य मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति प्राप्त कर दस्तावेज पुनः आवेदक को लौटाने की कार्यवाही करें । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 38/बी–103/15'16/33 दर्ज कर दिनांक 16–11–15 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 15,83,000/– अवधारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रुपये 79,050/– रुपये एवं अधिनियम की धारा 40(1)(ख) के अन्तर्गत 10,100/– रुपये शास्ति अधिरोपित करते हुये कुल राशि रुपये 89,150/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पूर्व में दिनांक 28–7–2015 को आदेश पारित कर मुद्रांक शुल्क रुपये 10,400/– एवं 1,000/– रुपये शास्ति अधिरोपित कर कुल रुपये 11,400/– जमा कराने के आदेश दिये गये थे, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक आदेश है, परन्तु उनके द्वारा पुनः दिनांक 16–11–15 को आदेश पारित कर रुपये 89,150/– जमा कराने के आदेश देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि जब कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा एक बार आदेश पारित कर दिया गया था, तब उन्हें उसी प्रकरण में दुबारा आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन इकरारनामा कब्जा रहित है, क्योंकि इकरारनामा में कब्जा सौंपे जाने का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कब्जा सहित अनुबंध पत्र मानकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इकरारनामा रुपये 1,000/– के मुद्रांक शुल्क पर निष्पादित होना था, परन्तु 100/– रुपये के मुद्रांक शुल्क पर निष्पादित कराया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ ऑफ स्टाम्प द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति अधिरोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कब्जा लेना स्वीकार किया गया है, क्योंकि आवेदक द्वारा आर0आर0सी0 का निर्माण प्रश्नाधीन भूमि पर कराया गया है, अतः कलेक्टर

ऑफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति उचित है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर आर0आर0सी0 का निर्माण कराया गया है और व्यवहार न्यायालय में कब्जा प्राप्त करना स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कब्जा सहित अनुबंध पत्र मानकर मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति अधिरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मध्यप्रदेश लिखतों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 4 एवं 5 के पालन में विधिवत् स्थल निरीक्षण कराया जाकर प्रश्नाधीन संपत्ति की स्थिति, उपयोगिता एवं संरचना के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि प्रश्नाधीन अनुबंध पत्र कब्जा सहित है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अवधारित मुद्रांक शुल्क भी अपने स्थान पर उचित है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर